पत्रांक– सि०वि०नि०–(स्था०)–01/18– 274
बिहार सरकार
सिविल विमानन निदेशालय
मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग,
हवाई अड्डा, पटना – 800014

पटना, दिनांक ....

संविदा पर नियोजन हेतु सूचना

मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग अन्तर्गत सिविल विमानन निदेशालय में संविदा के आधार पर सेवानिवृत सरकारी सेवकों (सफाईकर्मी) के चतुर्थ वर्गीय रिक्त–01 (एक) पद के विरूद्ध निम्नांकित अर्हत्ता धारक आवेदकों से आवेदन पत्र दिनांक 30.08.2018 तक आमंत्रित किये जाते है :–

1. न्यूनतम योग्यता :– मिडिल उत्तीर्ण
2. अर्हत्ता :– साफ–सफाई कार्य का पूर्ण अनुभव।
3. उम्र सीमा :– विज्ञापन की तिथि को सेवानिवृत सरकारी सेवक की आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए।
4. आरक्षण कोटी :– अनुसूचित जाति।
5. वेतनमान् :– नियोजित व्यक्ति को मासिक मानदेय के रूप में उन्हें प्राप्त होने वाले अन्तिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद शेष राशि भुगतेय होगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा।
6. अन्य शर्त्ते एवं जानकारी :–
    1. यह नियोजन केवल सफाईकर्मी (स्वीपर) पद के लिए किया जायेगा।
    2. यह नियोजन संविदा के आधार पर केवल दो वर्षों के लिए किया जायेगा।
    3. सिविल विमानन निदेशालय से सेवा निवृत सफाईकर्मी को नियोजन में वरीयता दिया जायेगा।
    4. संविदा की अवधि की समाप्ति पर यह नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा। इस हेतु कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
    5. नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को दये कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगा।
    6. इस नियोजन के आधार पर भविष्य में नियमित/अस्थायी अथवा स्थायी नियुक्ति या अन्य कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
    7. संविदा पर नियोजन के उपरान्त किसी भी स्थान पर नियोजन की अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
    8. संविदा पर नियोजित व्यक्ति की सेवा स्थानान्तरणी नहीं होगी।
    9. नियोजन के पूर्व नियोजित व्यक्ति द्वारा नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
    10. इस नियोजन को संविदा अवधि (Contract Period) की समाप्ति के पूर्व उभय पक्षो द्वारा एक माह की पूर्व सूचना दे कर या एक माह की संविदा राशि का एक मुस्त भुगतान कर समाप्त किया जा सकेगा।
    11. सफाईकर्मी (स्वीपर) के पद पर स्थायी नियुक्ति होने पर संविदा अवधि (Contract Period) पूरी न होने पर भी नियोजित व्यक्ति का नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा।
    12. संविदा पर नियोजन के पश्चात् दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपर्युक्त शर्त्ते मान्य होगी। नियोजित व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त एकरारनामा की किसी भी शर्त्त का उल्लंघन करने पर एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जाएगा।
    13. आवेदन पत्र, बायोडाटा तथा प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतियों के साथ निदेशक –सह– विशेष सचिव, सिविल विमानन निदेशालय, हवाई अड्डा, पटना–14 के पते पर स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक द्वारा दिनांक 30.08.2018 तक कार्यालय अवधि में अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
    14. प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर सुयोग्य उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा तथा साक्षात्कार में भाग लेने हेतु उन्हे किसी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा।
    15. संविदा पर नियोजन के सम्बन्धित जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार के बेवसाईट www.csd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

13/08/18

निदेशक –सह– विशेष सचिव